तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
19-11-20	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित आदेश सुनाया गया अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली कौसल कुमार लेकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड
अपील सं0 3/2018
दायरा दिनांक 05.0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

अपील स0 3/2018 पीठासीन अधिकारी
दायरा दिनाकं 05.01.2016 श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)

मेसर्स पर्ल्स ग्रीन फारेस्ट लि0 कम्पनी (PGF) मुख्य कार्यालय वैशाली बिल्डिंग द्वितीय मन्जिल ज्वाला हेडी मार्केट के सामने पश्चिमी विहार कम्युनिटी सेन्टर नई दिल्ली द्वारा सीनियर फीड ऐसोशिएटस्। – महावीर प्रसाद शर्मा आ0 पांचूलाल शर्मा जाति ब्रहाम्ण निवासी बजाज शोरूम के पास स्टेशन रोड लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

– अपीलान्ट

बनाम

1 शान्ति बाई आयु 85 वर्ष पत्नी मूलचन्द जाति स्वर्णकार निवासी ब्रह्मपुरी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
2 रामचन्द्र आयु 60 वर्ष आ0 मूलचन्द जाति स्वर्णकार निवासी ब्रह्मपुरी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3 बसन्ती बाई आयु 50 वर्ष पुत्री मूलचन्द जाति स्वर्णकार निवासी ब्रह्मपुरी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

–रेम्पोडन्ट गण

निर्णय

दिनांक 19/11/2020

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साक्ष्य में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत उतराना प.स. के0 पाटन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी द्वारा अपील विषयक आराजी बाबत नामा0 स0 685 दिनांक 20/09/2013 के विरूद्व अपील पेश कर कथन किया कि तथाकथित नामान्तकरण विधि विधान के विपरीत तस्दीक किया गया है अपील अपीलान्ट दर्ज रजि0 किया जाकर रेस्पोडन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया और रेस्पोडन्टगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने पर नामान्तकरण स0 685 दिनांक 20/09/2013 की असल परत तलब की गई।

हमारे द्वारा उभय पक्षों की बहस अन्तिम सुनी गई अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि अपील विषयक आराजी रेस्पोडन्ट स0 1 लगायत 3 के पति व पिता स्व0 मूलचन्द जी ने रजि0

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

क्रय पत्र दिनांक 22/12/1993 को अपीलान्ट को विकय कर कब्जा सम्भला दिया गया था रेस्पोडन्टगण का वर्तमान मे कब्जा नही है लेकिन फिर भी नामान्तकरण खोले जाने के पूर्व कब्जा बाबत कोई जांच पडताल नही की गई विकय के पश्चात अपील विषयक आराजी मे रेस्पोडन्टगण को कोई हक अधिकार व आधिपत्य निहित नही रहा है लेकिन फिर भी मूलचन्द की मृत्यु होने पर उक्त नामान्तकरण रेस्पोडन्टगण के नाम तस्दीक कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। तथा कथित नामान्तकरण की जानकारी हल्का पटवारी को दिनांक 23/12/2015 को नकल हेतु आवेदन करने पर मिली इस प्रकार जानकारी की तारीख से अपील पेश की गई है और विलम्ब को माफ किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है अन्त में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावें।

रेस्पोडन्टगण के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में ग्राम पंचायत उतराना व भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ़ को पक्षकार नही बनाया गया है इस कारण आवश्यक पक्षकार के अभाव मे अपील कानूनन पोषनीय नही होने से खारिज होने योग्य है। विकय पत्र दिनांक 22/12/1993 के आधार पर ग्राम पंचायत उतराना द्वारा ना0 स0 643 दिनांक 05/12/2012 को कम्पनी के नाम खोला गया नामान्तकरण को खारिज कर दिया गया। उस नामान्तकरण की अपील आजतक अपीलान्ट द्वारा न ही सक्षम न्यायालय मे नही की गई। विकय पत्र दिनांक 22/12/1993 का अवलोकन किया जावे तो उसमें केता कम्पनी है न कि अपीलान्ट महावीर प्रसाद, यह अपील कम्पनी की तरफ से पेश नही की गयी है। इस कारण महावीर प्रसाद पूर्णतया अजनबी व्यक्ति होने के कारण उसको अपील पेश करने का कोई वैधानिक अधिकार नही है। नामान्तकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है जिसमे हक अधिकार तय नही किये जाते है अपीलान्ट को अपना हक अधिकार तय करने के लिए सक्षम न्यायालय मे वाद पेश करना चाहिए। जो नही किया गया है न्यायालय द्वारा कब्जा बाबत भूमिधारी से मांगी गई रिपोर्ट में अपीलान्ट व कम्पनी का कब्जा न होकर रेस्पोडन्टगण का कब्जा होना बताया गया है अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20/09/2013 से दिनांक 23/12/15 को किस कारण से खाते की नकल पटवारी हल्का से किस कारण से ली गई इसका कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया इस कारण अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है उन्होने अपने तर्को के समर्थन में पूर्व न्यायिक दृष्टान्त RLW 20059(2) पेज 64,RRD 2010 पेज 148, RLW 2002 पेज 521 RRD 2003 पेज 415 H.C. प्रस्तुत किये अन्त में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलान्ट मय हर्जा खारिज की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

हमारे द्वारा उभय पक्षों की वहरा पर मनन किया गया एवं पत्रावली व असल नामान्तकरण का अवलोकन किया गया अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। रेस्पोडन्टगण द्वारा यह तथ्य न्यायालय में स्पष्ट नही किये कि दिनांक 23/12/15 से पूर्व ना0 स0 685 के सम्बन्ध में अपीलान्ट को जानकारी हो गई थी जिसके अभाव मे अपीलान्ट द्वारा पेश शपथ पत्र विश्वसनीय होना प्रतीत होता है इस कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट मियाद पेश होना माना जाता है।

अपील विषयक आराजी दिनांक 22/12/1993 को पूर्व खातेदार मूलचन्द द्वारा प्रतिफल राशि 85000 रूपये रूबरू गवाहान कम्पनी को विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 22/12/1993 को कराया जाना विक्रय पत्र के अवलोकन से प्रकट होता है रेस्पोडन्टगण द्वारा रजिस्टर विक्रय पत्र दिनांक 22/12/1993 को सक्षम न्यायालय में चेलेन्ज नही किया गया इस कारण उस पर विश्वास किया जाना प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत उतराना द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस जारी नही किया गया। अपील विषयक आराजी में रेस्पोडेन्टगण को कोई हक अधिकार नही होने से ग्राम पंचायत उतराना द्वारा तस्दीक किया गया नामान्करण स0 685 दिनांक 20/09/2013 विधि विरूद्व होने से अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण सं 685 दिनांक 20/09/2013 को अपास्त किया जाता है और प्रकरण पुनः उभय पक्षों को सुना जाकर अपील विषयक आराजी बाबत पुनः नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रति प्रेषित किया जाता है। निर्णय कि एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रेषित की जावे एवं असल नामान्तकरण की परत तहसीलदार इन्द्रगढ़ को अविलम्ब लौटाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 19/11/2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी

Scanned with CamScanner